

**TENDER DOCUMENT**

**FOR**

**PROCUREMENT OF GUEST HOUSE MANAGEMENT SERVICES**

**AT**

**NIIR-NCD**

**New Pali Road Jodhpur 342005**

**Time schedule for tender process:**

Date of publication of tender notification on official website and CPP portal	<b>12.05.2022</b>
Last date for Submission of tender document	<b>02.06.2022 at 5:30 PM</b>
Date and Time of the opening of Tender Document	<b>03.06.2022 at 11:00 AM</b>
Place of tender document submission	NIIR-NCD JODHPUR

- *Note: This tender document contains 18 pages (total no. of pages including Annexures) and tenderers are requested to sign on all the pages.*
- *Only Physical bid addressed to Director, NIIRNCD, Jodhpur will be accepted.*
- *In case of discrepancies in English and Hindi version, Bidders are advised to follow English version.*

## **INTRODUCTION:**

The National Institute for Implementation Research in Non Communicable Diseases came into existence on 07<sup>th</sup> December 2019. The institute is located in Jodhpur and it replaces the erstwhile Desert Medicine Research Centre. The institute has state of the art facility to conduct basic laboratory based research in its microbiology, biochemistry and vector biology laboratories. The institute is acquiring personnel and facilities for strengthening its capacity for conducting implementation research in non- communicable diseases. At present, the institute has a set of 13 dedicated scientists, 9 technical experts, ably supported by 24 administrative and support staff. The thrust areas of research are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, environmental health, nutritional disorders, cancers, injury & trauma, mental illnesses including substance abuse, genetic diseases and other non-communicable diseases of public health significance in India. The institute aspires to carry out implementation research in the thrust areas, provides training for capacity building in implementation research in other academic and research institutions, develops behavior change communication materials and models for tackling risk factors of various non communicable diseases. The institute heartily welcomes collaboration with institutions and individuals with interest in augmenting the thrust areas.

## **NOTICE INVITING TENDER:**

### **FOR SELECTION OF AGENCY FOR PROCUREMENT OF GUEST HOUSE MANAGEMENT SERVICES AT NIIRNCD JODHPUR**

The Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur (NIIRNCD, JODHPUR) invites tenders in sealed cover under two-bid system from reputed and experienced agencies for this service as per requirements through website <https://niirnecd.icmr.org.in/> <https://icmr.gov.in/> and CPP Portal <https://eprocure.gov.in/>. Any future clarification and/or corrigendum(s) shall be communicated through the same websites. The technical bid (Annex-A) and the financial bid (Annex-B) should be sealed by the bidder/service providers in separate covers duly super-scribed and both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be sealed and duly super-scribed on the outer envelope as “Tender for procurement of guest house management services at NIIRNCD, jodhpur”

## **SCOPE OF WORK**

1. To provide Bed Tea/Breakfast/Lunch/Dinner etc. to the Guests as per **Annexure- C** rates.
2. Supply of manpower fulfilling the eligibility criteria prescribed against each category of posts for manning the work.

**PERIOD OF THE CONTRACT:-**

- 1 The contract will be initially for a period of one year and may be extended on satisfactory performance of the agency for a period of 1 year at the discretion of the Director, NIIRNCD Jodhpur.
- 2 The contract is liable to be terminated after giving at least one month's notice in writing with reasons from either side in the normal course.
- 3 In case of unsatisfactory performance, the contract of any person may be terminated at any time at the discretion of the Director.
- 4 Agreement shall be executed by the vendor immediately (within 1 Week) upon acceptance of the tender and receipt of orders from the Director.

**TERMS & CONDITIONS FOR PRE QUALIFICATIONS (TECHNICAL BID):-**

1. Bidder's Profile and Declarations/Letters as in Annexure-I to IV.
2. The Outsourcing Agency (Service Provider) must be a registered legal entity, like a company, society, LLP (limited liability partnership)/Registrar of Companies (R.O.C.)/Registrar of Firms etc. A copy of registration certificate should be submitted.
3. Self attested valid copy of CA certificate with the last three year balance sheet, Income Tax Returns and turnovers i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
4. Detailed company profile with at least 3 (Three) years experience for supply of manpower in the field of kitchen, catering & hospitality services to Centre Government/State Government organizations/PSUs/Undertaking/Organizations with documentary evidence. The copies of experience certificate duly issued by the competent authority should be enclosed. No work order shall be considered.
5. The bidders should have successfully completed at least one contract having average annual value of not less than Rupees 18 lakhs in Central Government /State Government organizations /Government PSUs/Undertaking/Organizations each in the last three years i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
6. The experience shown should be for providing continuous service for at least one year for each client. These details may be furnished in the following format and it should be submitted on the letter head of bidder:-

S.No.	Year	Name of the client where the experience in providing related services is claimed (1 year or more)	Brief nature of work	Whether the minimum period of one year completed (Yes/No)	Amount of work order for one year	Copy of performance certification submitted (Yes/No)
A	B	C	D	E	F	G
1	2018-19					
2	2019-20					
3	2020-21					

*Note: The template of performance certificate to be attached by the bidder is given below and it should be issued by the client of the bidder (on client letter head).*

### **Performance certificate**

It is certified that M./s (bidder) had provided Manpower Services (Detail of service provided ) to our firm/office for the premises located at-----for the period from------(date) to \_\_\_\_\_(date). The annual financial component of the supply of manpower in the field of kitchen, catering & hospitality services contract is Rs.------(in words)

Signature of the client (of the bidder)  
With seal of the client firm of the bidder

***Note: the technical evaluation committee may also accept performance certificate containing the requisite details in other similar proforma and its decisions shall be and binding.***

7. The Bidder should have at least a minimum staff strength of 25 for the financial year 2020-21 on their rolls with similar prescribed qualifications and experience for the posts as mentioned in Annexure-B (Challan>Returns showing the deposit of EPF/ESI etc. and return filed with labour Department are to be submitted a proof)
8. The bidders should have valid registration from the ESI, EPF and under GST (Proof to be enclosed)
9. Copy of up to date remittance to ESI, PF, and GST authorities for the last financial year.
10. Copy of PAN/TAN Registration(Proof to be enclosed)
11. Detail of Bank Account with Name of bank with address , Account Holder Name, Account Number, IFSC code etc
12. A company, firm or agency should be registered with/have requested for license from the Labour Dept. of Central/State Government and should be valid for at least 3 months as on date of opening of bid tender.
13. The demand draft of EMD of Rs.60000/-
14. Tender Fee Rs. 500/- fee in favour of **Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur.** (NO Exemption)

***Note: All qualifications as mentioned in clauses 1 to 14 should be supported by sufficient documentary proof in technical Bid document, without which the claim of Tenderer for the prescribed qualification shall not be considered.***

### **General Terms and Conditions:-**

- 1 The tender must reach at following address on or before **02.06.2022 at 05:30 PM**

**The Director**

**National Institute for Implementation Research on Non-communicable Diseases (ICMR-NIIRNCD), New Pali Road, Jodhpur-342005.**

- 2 The technical bids will be opened by the Concerned Committee on **03.06.2022 at 11:00 AM** in the presence of representatives of the bidders. At the second stage, financial bids of the technically qualified Bidders will be opened for further evaluation and ranking before awarding the contract.
- 3 The Technical bid (Annexure-A) and the financial bid (Annexure-B) should be sealed by the bidder/service providers in separate envelope covers duly super-scribed and both these sealed envelope covers are to be put in a bigger envelope cover which should also be super-scribed as “Tender for **PROCUREMENT OF GUEST HOUSE MANAGEMENT SERVICES AT NIIRNCD JODHPUR**”
- 4 Financial bid quoting NIL/Zero percent or its derivatives upto 0.9999 percent and thereof as service charge shall be rejected summarily.
- 5 The selection would be done on basis of lowest rate for total of Annexure B and NIIRNCD Jodhpur will award the contract accordingly.

6 **Earnest Money:**

The tenderer needs to deposit an amount of Rs. 60000/- (Rupees sixty thousand only) in the form of Demand Draft in favour of **Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur** as earnest money (EMD) at the time of submission of tender. The earnest money (EMD) of unsuccessful tenderer will be returned.

7 **Exemption in EMD :-**

All bidders shall have to deposit the EMD amount except Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in the MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organisation or concerned Ministry of Department or Startups as recognized by Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) in term of Department of Expenditure (DoE), Ministry of Finance's OM No. F.20/2/2014-PPD (Pt.) dated 25.07.2017. For availing exemption, the concerned firm/agency shall have to submit Valid Registration Certificate with the Tender Document failing which it will not be considered for exemption.

- 8 The EMD of the successful tenderer will be refunded only after the deposit of 3% performance guarantee by the contractor at the time of awarding the contract in the form of bank guarantee.
- 9 **Performance Security:** - The successful bidder will be required to furnish an amount @ 3% of Total Estimated Annual Contract Value (inclusive of GST) Rs. 60000/- (Rupees sixty thousand only) as a performance security in the form of Bank Guarantee from any Nationalized Bank duly pledged in the name of the "**Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases,**" payable at Jodhpur within 30 days from the award of contract. Security Deposit shall be kept

valid for a period of 60 days beyond completion of all the contractual obligations. The Performance security deposit can be forfeited by order of this Institute in the event of any breach or negligence or non-observance of any condition of contract or for unsatisfactory performance or non – observance of any condition of the contract. In case, the successful bidder shows inability at any stage, after the contract is finalized and awarded for whatsoever reason(s), to honour the contract, the Performance Security deposit will be forfeited. Performance Security will be discharged after 60 days from the completion of contractor’s performance obligations under the contract.

## 10 **Forfeiture of Security Deposit**

11.1 The Fixed deposit Receipt / Bank Guarantee / demand draft can be forfeited by order of the competent authority in the event of any breach or negligence or non-observance of any terms/condition of contract or for unsatisfactory performance or for non-acceptance of the work order. On expiry of the contract, such portion of the said Fixed deposit Receipt/Bank Guarantee/demand draft as may be considered by this office, sufficient to cover any incorrect or excess payments made on the bills to the firm, shall be retained until the final audit report on the account of firm’s bill has been received and examined.

11.2 If the work is not commenced on the date of starting the work after work is awarded to the contractor.

11.3 Unsatisfactory performance

11.4 Non-performance of the contractor.

- 11 No interest on Security Deposit and Earnest Money Deposit shall be paid by the NIIR-NCD to the bidder.
- 12 The firm shall be liable to implement the Labor laws, minimum wages Act and other social legislations Act i.e. EPF, ESI etc. as amended & notified by Govt. of India from time to time for the manpower engaged by the agency.
- 13 The Contractor will have to provide catering as well as housekeeping jobs under this contract. However, he has to depute at least **06 persons (01-Cook, 01-Housekeeping supervisor, 04-Housekeeping staff)** for this work. Wages payable for these persons will be as per rates as prescribed by Rajasthan/Central Govt. whichever is higher will be applicable. These no. of Persons may be increased or decreased as per requirement of the Institute. Wages for these persons will be as per rates as prescribed by /Central/ Rajasthan Govt. whichever is higher, will be applicable.

## 14 **The minimum qualification and experience would be as under:**

S. No.	Post Name	Essential Qualification
01	Cook –skilled (Senior Cook/	The person deployed should be at least 10 <sup>th</sup> class pass with minimum 5 years experience for Senior cook and 3 year



	Junior Cook)	experience for Junior cook in any Government Organization/PSUs/Autonomous body/Private firm, The skill test of cooks will be taken. He must be skilled in various Indian cuisines.
02	Housekeeping Supervisor-skilled (Manager and Supervisor)	The person deployed should be 10+2 pass and having knowledge of computer operation and minimum 5 years experience for manager and 3 years experience for supervisor as Manager/Housekeeping supervisor in any Government Organization/PSU/Autonomous Body/Private Firm. A desirable requirement would be a diploma in housekeeping from any Hospitality Management Institute.
03	Housekeeping/Kitchen Staff-unskilled (various purpose)	The person deployed should be at least 10 <sup>th</sup> class pass.

- 15 The Contractor will ensure that his staff members are disciplined neatly dressed and speak politely to officials in the Campus.
- 16 It is to be ensured that each employee will have adequate number of uniforms so that hygienes, cleanliness and aesthetics are maintained.
- 17 NIIR-NCD will not be responsible for any injury, loss of life or any mishap to contractor's staff while on duty during stay in premises or otherwise.
- 18 The Contractor will provide uniform to his staff.
- 19 The agency before submitting the tender may inspect the office premises during office hours on any working days.
- 20 This Office reserves the right to accept or reject any tender/quotation without assigning any reason.
- 21 The contractor will be responsible for discharging liabilities in respect of the workers working under him as per Central/ State Govt. rules & regulations.
- 22 The payment of wages/salary to the outsourced staff to be made mandatorily through electronic bank transfers within first 7 days of every month.
- 23 The Contract can be terminated by NIIR-NCD any time by giving one months notice.
- 24 Conditional bid shall not be entertained.
- 25 NIIR-NCD will have the right to verify the authenticity of documents submitted by personal inspection/visit the contractor establishment.
- 26 The Contractor will take charge of the capital items of the Guest House including kitchen and dining hall electrical gadgets by acknowledging the inventory handed over to him. Except natural wear and tear the contractor will be responsible for their theft/damages/loss etc. The loss due to theft/damage shall be recovered from his bill.
- 27 The Contractor will have to bring his own kitchen utensils Bone China crockery etc. for preparation & serving of food in Guest House.
- 28 No stale food (left over) should be served to the guests
- 29 The payment for refilling of the gas cylinders would be made by the contractor.

- 30 The Contractor will ensure the use of only standard brands of cooking oils, spices, & all edible materials of ISI Mark/Agmark standard.
- 31 All groceries (provisions) to be used should be of standard quality.
- 32 Only fresh beverages/fruits/vegetables would be used and served.
- 33 The Contractor shall ensure that the rooms of the Guest House, kitchen, Dining Hall & its surroundings and service tables are kept neat and clean.
- 34 Cooking should be in the most hygienic manner to the satisfaction of In-charge of the Guest House.
- 35 The Contractor will provide the Break-fast/Lunch/Dinner etc. as per menu & rates mentioned in Annexure-‘C’.
- 36 The contractor has to provide the Breakfast, Lunch and Dinner on the approved rates for Seminar, Workshop, Conference meetings. The extra manpower required will be paid proportionately. The contractor shall have to provide extra man power as & when required by the Institute.
- 37 **Subletting of Work:** The firm/party shall not assign or sublet the work or any part of it to any other person or party without having first obtained permission in writing of the competent authority who will be at liberty either to refuse or accept the same.
- 38 **Evaluation of Performance:** After 3 months of operation, the contractor will be evaluated on the basis of the guidelines and rules detailed in this document. If the contractor fails to meet the expectation and promises made, license agreement can be cancelled.
- 39 **Fulfillment of Statutory Provisions:** The contractor will ensure the compliance of all statutory provisions i.e. Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Industrial Disputes Act, Contract labour (Regulations and Abolition) Act, ESIC Act, 1948 and EPF Act, 1952 and all other labour and industrial enactment at his own risk and cost in respect of all staff employed by him. The Institute shall be indemnified for any action brought against it for any violation/non-compliance of any of the provisions of any of the acts, etc. Hence, non-compliance or violation of any of these provisions of any of the Acts would lead to the immediate termination of the contract. Contractor will submit the proofs of payments towards EPF, ESIC and GST (if applicable) dues of previous month for claiming subsequent month's payment.
- 40 **Details of Workers:**
  - a) The contractor shall submit a list of workers, with complete details including local/ permanent addresses, contact details, and their photographs etc, for approval, which may be allowed to work at NIIRNCD. NIIRNCD reserves right to reject any or all the names without assigning any reason thereof. Only those workers who have been cleared by the NIIR-NCD will be allowed to enter into the premises of the Campus of NIIRNCD.
  - b) The contractor has to provide the Photo Identity card to the persons employed by him for carrying out the work. These cards are to be constantly displayed and their loss to be reported immediately.
  - c) The character and antecedent of the staff provided by the agency should be verified by local police and a certificate to this effect should be enclosed while providing the details of workers.



**41 Payment date of Salary to the Workmen:**

The Contractor has to pay the salary to workmen by 7<sup>th</sup> of every month for immediate previous months work without waiting for clearance of his pending bills. Any delay in the payment will be penalized by Rs. 2000 (two thousand) per day. The Payment shall be made strictly on satisfactory work and on daily attendance basis. Contractor will issue salary slip to all staff members engaged and shall remit the salary in the staffs account through NET banking to ensure the timely payment. Contractor will also be responsible for the opening of bank account of all employees to nearby bank at their own cost in order to transfer the salaries of employees' directly to their accounts.

**42 Maintenance of Attendance Record:** The contractor has to maintain attendance record of workmen and NIIRNCD in-Charge shall certify that. A copy of the same record shall be submitted every month along with the bill for payment.

**43 Accident or Injury to Workmen:** The Institute shall not be liable for any damage or compensation payable in respect of or in consequence of any accident or injury to any workmen or other person in the employment of the contractor through claim from insurance company. The contractor shall indemnify and keep the Institute indemnified against all such damage and compensation whatsoever in respect or in relation thereto.

**44 Medical Fitness of engaged Workers:-**

- The contractor shall employ only healthy adult and trained staff with good health and sound mind for all services.
- The contractor will ensure that all employees engaged by him are free from communicable/ infectious disease and are medically fit to work at NIIRNCD. NIIR-NCD will conduct medical examination at the cost of the agency if required.
- The vendor shall furnish medical fitness certificate for all his employees issued by a qualified R.M.P. periodically once in 6 months. The cost of the medical examination will be borne by the contractor.

**45 Compliance of Institute's Security & Safety Regulations:**

- The contractor will be responsible for his employees in observing all security and safety regulations and instructions as may be issued by the Institute from time to time. The contractor will be responsible to take appropriate disciplinary actions against his workers to fulfill his obligations under this agreement, provided that, action should be taken in accordance with Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 and the NIIR-NCD Authority should be informed at every point of time.
- Contractor will ensure that their employees should protect the Institute's information received during discharge of their duties from any unauthorized disclosure to third party without permission.

**46 Penalty of Unsatisfactory Service:**

- In case the services are found deficient on any one particular day in a month, a penalty of 1% (one percent) of the monthly contract amount for unsatisfactory service.

- b. In case Services are found deficient for 2 to 4 days in a month, penalty of 2% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day. If deficiency is found for more than 4 day and up to 7 days a penalty of 3% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day. If deficiency found more than 7 days up to 10 days , a penalty of 5% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day.
- c. If unsatisfactory performance continues for more than a period of 10 days, the Director, NIIR-NCD reserves the right to terminate the contract without any further notice. In such an event, the Security Deposit of the Contractor shall be liable to be forfeited.
- d. Unsatisfactory services/Deficiency in services includes, but is not limited to the following:
  - i. Late coming; Coming in shoddy/dirty uniform; Reporting drunk/ill/unkept; Leave without 1 day prior information; Fudging/Tampering attendance register/biometric machine; Rude, impolite behavior; Lazy, uncooperative in rendering duty; Damage to property of NIIR-NCD; any act so as to cause damage to prestige reputation of NIIR-NCD; Smoking/pan/bidi during working hours; Attending personal phone calls during working hours; Violence of any kind, infighting, groupism with fellow staff; insubordination; Financial irregularity; Bringing/allowing unauthorized person into NIIRNCD/MRHRU premises; Coming without badge/ I card; Refusing to attend training course designated by NIIR-NCD etc.
- e. The agency is required to provide the manpower as per on daily basis. If the agency is not able to provide the required number of personnel, a penalty for shortage of attendance will be imposed as follows:

I.	85% and above,	No Penalty.
II.	75% to 85% (less than 85%),	Rs. 100/- per day per person
III.	65% to 75% (less than 75%),	Rs. 200/- per day per person
IV.	55% to 65% (less than 65%),	Rs. 300/- per day per person
V.	Below 55%	Rs. 500/- per day per person

#### 47 Terms of payment:

- I. The bill in duplicate along with duly signed copy of attendance register should be sent to this office for payment by 1st week of the following month.
- II. No Payment shall be made in advance or any loan from any bank or financial institution shall be recommended on the basis of the order of award of work. Payment of bills would take about two weeks time on an average from the date of submission of the bill.
- III. All payments shall be made by cheques/PFMS only, in the name of the firm/company.
- IV. The competent authority shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject to recovery of penalties mentioned in preceding paragraph.

**48 Jurisdiction of Court:** This contract is governed by the laws of Republic of India and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the High Court in Jodhpur, Rajasthan.

**Director**

ANNEXURE-I

**DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/ NON-BLACKLISTING FROM  
TAKING PART IN GOVT.TENDER BY DOPT/GOVT. DEPT**

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----  
-----hereby declare that the firm/company namely  
M/S.-----has not been  
blacklisted or debarred in the past by NIIRNCD or any other Government organization from  
taking part in Government tenders.

Or

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----  
-----hereby declare that the firm/company  
namely M/S.-----was blacklisted  
or debarred by NIIRNCD, or any other Government Department from taking part in  
Government tenders for a period of -----years w.e.f.----- . The period is over on  
-----and now the firm/company is entitled to take part in Government tenders.

In case the above information found false, I/We are fully aware that the tender/ contract will  
be rejected/cancelled by the Director, NIIRNCD, Jodhpur and EMD/SD shall be forfeited.

In addition to the above, Director, NIIRNCD, Jodhpur will not be bound to pay the bills for  
any completed / partially completed work.

Signature -----

Date:

Name -----

Capacity in which as signed:

Name & address of the firm:

Seal of the firm should be affixed.



ANNEXURE-II

**DECLARATION  
FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN NIIRNCD,  
JODHPUR**

I.....S/O

Sh.....

R/o.....Hereby certify that none of my relative (s) as defined in the tender document is/are employed in NIIRNCD, Jodhpur as per detail given below. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, NIIRNCD shall have the absolute right to take any action as deemed fit, without any prior intimation to me.

Signature of the tenderer

with seal

The near relative (s) means:

- Members of a Hindu Undivided family;
- Spouse.
- Father, mother, sister, Sister-in-law, Daughter, Daughter-in-law, brother, brother-in-law etc.

In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of partnership firm, certificate will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the company or company secretary on behalf of all directors. Any breach of these conditions by the company or firm or any other person, the tender/work will be cancelled and earnest money/security deposit will be forfeited at any stage whenever it is so noticed. The department will not pay any damages to the company or firm or the concerned person. The company or firm or the persons will also be debarred for further participation in the concerned unit.

Place:

Signature of tenderer/Authorized Signatory

Date:



Name of the  
Tenderer Seal of the Tenderer

ANNEXURE-III

### DECLARATION

FOR NON-TAMEPRING OF DOWNLOADED TENDER DOCUMENT FROM WEB SITE

I.....(authorized signatory) hereby declare that the tender document submitted has been downloaded from the website <https://eprocure.gov.in/> <https://niirnacd.icmr.org.in/> <https://icmr.gov.in/> and no addition / deletion / correction has been made in the downloaded document. I also declare that I have enclosed a DD for Rs..... towards the cost of tender document along with the EMD.

Place:  
Date:

Signature of tenderer/Authorized Signatory

Name of the Tenderer

Seal of the Tenderer



ANNEXURE-IV

**DECLARATION**

**LETTER OF AUTHORISATION FOR ATTENDING THE OFFICE**

To,  
Director,  
NIIRNCD, New Pali Road,  
Jodhpur.

Sub: Authorization for attending the office on \_\_\_\_\_ (date) in the Tender of  
\_\_\_\_\_

Sir,

Following person is authorized to attend the office for the tender mentioned above on behalf  
of \_\_\_\_\_ (Bidder).

Name of the Representative

Specimen Signature

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature of the Bidder

(Maximum one representative will be permitted to attend the office. Permission for entry to  
the office may be refused in case authorization as prescribed above is not received.)

**Annexure A**

**National Institute for Implementation Research on Non Communicable  
Diseases, Jodhpur  
(Technical Bid)**

1.	Name of the Proprietor	
2.	Name of the firm/agency*	
3.	Address of the firm/agency*	
4.	Telephone No.	
5.	Registration No.	
6.	Trade for which registered*	
7.	Specimen signature of the person authorized: for signing the tender*	
8.	Name & Address of the Banker with Account NO,IFSC Code	
9.	Income Tax PAN/TAN No. *	
10.	Registration No*. and date, if any as under (a) Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 (b) E.P.F. Act* : (c) E.S.I. Act* : (d) GST Act *:	
11.	Details of Earnest Money (EMD) (DD No., Date & Amount)	

12	Details of Tender fee (DD No., Date & Amount)	
13	Self attested copy of CA certificate with the last three year balance sheet, Income Tax Returns and turnovers i.e. 2018-19 2019-20 and 2020-21.	
14	Three year experience for supply of manpower in the field of kitchen, catering & hospitality services	
15	Declarations/Letters as in Annexure-I to IV.	

\* Relevant documents of registration of firm Income Tax, GST, TIN, EPF and ESI etc must be attached along with EMD in technical Bid.

Signature of Tenderer with date

### Annexure –B

### National Institute for Implementation Research on Non Communicable Diseases, Jodhpur

#### (Financial Bid)

S. No	Description	Monthly Charges in Rupees	Total Yearly Amount (in Rs.)
1	Service Charge for unskilled staffs (04 Nos.) at NIIRNCD, Jodhpur (RAJ.) (04- Housekeeping staff)		
3	Service Charge for skilled staff (02 Nos.) at NIIRNCD, Jodhpur (RAJ). (01 Cook + 01 Housekeeping supervisor)		
	Total Monthly Service Charge in Words:		

# (The contractors must ensure that service charge quoted should not be NIL or its derivatives.)

- Minimum wages, EPF, ESI, Bonus etc. will be as per rule.

Note:

1. As per Govt. of India Gazette the ESI subscription rates have been reduced from 4.75% earlier to 3.25 % from 1<sup>st</sup> of July, 2019.
2. EPF contribution taken on maximum wage ceiling of Rs. 15000/-
3. Upper limit of ESI applicability is Rs. 21000/-



4. Upper limit of bonus applicability is Rs. 7000/-
5. Wages are subject to amendments as and when promulgated by the concerned authorities from time to time.
6. The above mentioned minimum wages will be charged as per Central/Rajasthan government rules and whichever would be higher will be applicable.

Signature of Tenderer with date

**Annexure-C**

**Schedule of Food Items, Quantity & Cost**

Food Items & Quantity	Rates Inclusive of All Taxes, Incidental Charges & Labour Charges
<b>BREAK FAST</b>	<b>Rate in Rs.</b>
<b>Veg Stuffed Paratha 1 nos (150gm) with pickle</b>	<b>15</b>
<b>Puri (5) + sabzi</b>	<b>25</b>
<b>Toast (4)+ Butter+Jam (Standard size toast)</b>	<b>15</b>
<b>Cornflakes/ Poha/Uppama (200gm)</b>	<b>20</b>
<b>2 Egg/ omelet/slice</b>	<b>20</b>
<b>Besan cheela (50gm)</b>	<b>10</b>
<b>Curd/Raita (150 gm)</b>	<b>10</b>
<b>Tea/Coffee (100 ml)</b>	<b>10</b>
<b>Cold coffee (200 ml)</b>	<b>20</b>
<b>Milk (200 ml)</b>	<b>15</b>
<b>Amul Butter (10gm) packed</b>	<b>MRP</b>
<b>Amul Butter Milk (200 ml to 500 ml) packed</b>	<b>MRP</b>
<b>Lunch &amp; Dinner Ordinary Vegetarian Food</b>	

<b>Dal, Seasonal Dry vegetable, plain Rice, Roti/Puri, one Papar, Pickle, curd/raita (150 gm), Salad (Onion, cucumber, Tomato, Green chili, Lemon-7 pieces)</b>	<b>Full Diet</b>	<b>75.00</b>
<b>ORDINARY NON-VEGETARIAN FOOD</b>		
<b>Egg Curry/Chicken/fish, Dal, Plain Rice, Roti, curd/raita (150 gm) Papar, Pickle, Salad (Onion, cucumber, Tomato, Green chili, Lemon-7 pieces)</b>	<b>Full Diet</b>	<b>100.00</b>
<b>Mutton, Dal, Rice, Roti, Curd/raita (150 gm) papar, Pickle, Salad (Onion, cucumber, Tomato, Green chili, Lemon-7 pieces)</b>	<b>Full Diet</b>	<b>150.00</b>
<b>SPECIAL LUNCH/DINNER</b>		
<b>Two vegetables and Dal (As per choice), Pulaoo Rice, Curd/Raita, Mixed green salad, Roasted papar, Pickles, Roti/Puri, Sweets (Gulab Jamun/Chhena sweet/Rasmalai (one piece)/ Ice Cream (vanilla/strawberry/Chocolate), Fruit Raita, Mineral Water (200 ml)</b>	<b>Full Diet</b>	<b>150.00</b>
<b>Food items if separately sold</b>		
<b>Roti (50 gm. weight each)</b>	<b>5 Nos.</b>	<b>15</b>
<b>Butter Roti (50 gm. weight each)</b>	<b>5 Nos.</b>	<b>20</b>
<b>Cooked Dal</b>	<b>150gm.</b>	<b>15</b>
<b>Cooked Sabji (Seasonal vegetable)</b>	<b>150gm.</b>	<b>15</b>
<b>Cooked Rice</b>	<b>200gm.</b>	<b>15</b>
<b>Roasted papar (topped with onions, tomatoes and spices)</b>	<b>1 Nos.</b>	<b>10</b>
<b>Samosa/ Mirchi bada/ Bread pakoda/Kachori</b>	<b>100gm.</b>	<b>10</b>
<b>Pakoda (dal, onion, potato)</b>	<b>100gm.</b>	<b>15</b>
<b>Veg. Sandwich</b>	<b>1 Nos.</b>	<b>20</b>
<b>Cheese sandwich</b>	<b>1 Nos.</b>	<b>25</b>
<b>Veg. Maggi</b>	<b>200gm</b>	<b>20</b>
<b>Dahi-Vada</b>	<b>200gm.</b>	<b>20</b>
<b>Patties (Potato, Paneer, Cheese etc.) Standard size</b>	<b>1 Nos.</b>	<b>15</b>



<b>Lemon water</b>	<b>200 ml</b>	<b>10</b>
<b>Carrot shake</b>	<b>200 ml</b>	<b>10</b>
<b>Banana Shake /orange/mosambi juice</b>	<b>200 ml</b>	<b>20</b>
<b>Mango Shake/ Pineapple/Mix fruit (at least 4 fruit) juice</b>	<b>200 ml</b>	<b>25</b>
<b>Soft Drinks/ dairy drink /Namkeen/Biscuits/bakery item, Mineral water (200 ml, 500 ml and 1 Ltr.).</b>		<b>MRP</b>

सं. एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी./स्थापना/स्टोर/अतिथि गृह/2017/इ0756 वोल्युम III  
दिनांक : 12.05.2022

निविदा दस्तावेज की लागत रु. 500/-

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान  
(एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी.)  
नई पाली रोड जोधपुर 342005

अतिथि गृह प्रबंधन सेवाओं की प्राप्ति  
के लिये  
निविदा दस्तावेज़

निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारिणी:

आधिकारिक वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	12.05.2022
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	02.06.2022 at 5:30 PM
निविदा दस्तावेज खोलने की तिथि एवं समय	03.06.2022 at 11:00 AM
निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर

- नोट: इस निविदा दस्तावेज में 20 पृष्ठ हैं (अनुलग्नकों सहित पृष्ठों की कुल संख्या) और निविदाकारों से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध है।
- निदेशक, एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर के पते पर केवल भौतिक (फिज़िकल) बोली ही स्वीकार की जाएगी।
- अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में विसंगतियों के मामले में, बोलीदाताओं को अंग्रेजी संस्करण का अनुसरण करने की सलाह दी जाती है।

## परिचय:

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान 07 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आया। इसका पूर्ववर्ती नाम "मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र" था, जो बदल गया है। संस्थान के पास सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन और वेक्टर जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में बुनियादी प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा है। संस्थान असंचारी रोगों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने के लिए अपनी क्षमता को सशक्त बनाने हेतु जनशक्ति और सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, संस्थान में 13 समर्पित वैज्ञानिकों, 9 तकनीकी कर्मचारियों का एक समूह है, जो 24 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों द्वारा समर्थित है। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र भारत में जन स्वास्थ्य महत्व के हृदय रोग, सांस की पुरानी बीमारियां, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकार, कैंसर, चोट और आघात, मादक द्रव्यों के सेवन सहित मानसिक बीमारियां, आनुवंशिक रोग और अन्य असंचारी रोग हैं। संस्थान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने, अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यान्वयन अनुसंधान के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न असंचारी रोगों के जोखिम कारकों से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और मॉडल विकसित करने की इच्छा रखता है। संस्थान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के साथ सहभागिता के लिए हार्दिक स्वागत करता है।

## निविदा आमंत्रण सूचना:

**एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में अतिथि गृह प्रबंधन सेवाओं की प्राप्ति के लिए एजेंसी का चयन।**

निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर) अपनी वेबसाइट <https://niirnncd.icmr.org.in/> और <https://icmr.gov.in/> तथा सीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in/> के माध्यम से प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से आवश्यकतानुसार अतिथि गृह प्रबंधन सेवाओं की प्राप्ति के लिए दो-बोली प्रणाली के तहत सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित करता है। भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण और/या शुद्धिपत्र को इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

तकनीकी बोली 'ए' और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-बी) को बोलीदाता/सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग लिफाफों में विधिवत उपर अंकित करके सील किया जाना चाहिए और दोनों सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उसे भी सील किया जाना चाहिए तथा और बाहरी लिफाफे पर विधिवत लिखा जाना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर "राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी.),जोधपुर में अतिथि गृह प्रबंधन सेवाओं की प्राप्ति के लिये निविदा" लिखा होना चाहिए।



### **कार्य-क्षेत्र**

1. मेहमानों को अनुबंध-सी की दरों के अनुसार बेड टी/नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात का भोजन आदि उपलब्ध कराना।
2. कार्य के संचालन के लिए प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले जनशक्ति की आपूर्ति।

### **अनुबंध की अवधि:-**

1. अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और निदेशक, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. जोधपुर के निर्णय पर और एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. सामान्य स्थिति में दोनों ओर से कारणों सहित कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
3. असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, निदेशक के निर्णय पर किसी भी व्यक्ति का अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. निविदा की स्वीकृति और निदेशक से आदेश प्राप्त होने पर निविदाकार द्वारा अनुबंध को तुरंत (1 सप्ताह के भीतर) निष्पादित किया जाएगा।

### **पूर्व योग्यता (तकनीकी बोली) के लिए नियम और शर्तें: -**

1. अनुबंध-I से IV तक के अनुसार बोलीदाता का प्रोफाइल और घोषणाएं/पत्र।
2. आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवा प्रदाता) एक पंजीकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए, जैसे कंपनी, सोसाइटी, एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी)/कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी)/फर्मों के रजिस्ट्रार आदि। पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा की जानी चाहिए।
3. पिछले तीन साल की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न और टर्नओवर अर्थात 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के साथ सीए सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड वैलिड कॉपी।
4. केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उपक्रमों/संगठनों को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ रसोई, खानपान और आतिथ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनशक्ति की आपूर्ति के लिए कम से कम 3 (तीन) वर्ष के अनुभव के साथ विस्तृत कंपनी प्रोफाइल। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। किसी भी कार्य आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोलीदाताओं को पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019- 20 और 2020-21 में केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों/सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों/उपक्रमों/संगठनों में से प्रत्येक में कम से कम 18 लाख रुपये के औसत वार्षिक मूल्य का कम से कम एक अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए।

6. दिखाया गया अनुभव प्रत्येक ग्राहक के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए निरंतर सेवा प्रदान करने का होना चाहिए। ये विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इसे बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए: -

क्रम सं.	वर्ष	ग्राहक का नाम जहां संबंधित सेवाएं प्रदान करने के अनुभव का दावा किया गया है (1 वर्ष या अधिक)	कार्य की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण	क्या एक वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी हुई (हां/नहीं)	एक वर्ष के कार्यादेश की राशि	क्या कार्य निष्पादन के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है (हां/नहीं)
A	B	C	D	E	F	G
1	2018-19					
2	2019-20					
3	2020-21					

**नोट: बोलीदाता द्वारा संलग्न किए जाने वाले कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र का नमूना नीचे दिया गया है और इसे बोलीदाता के ग्राहक द्वारा जारी किया जाना चाहिए (ग्राहक के लेटर हेड पर)।**

### कार्य निष्पादन के प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ..... (बोलीदाता) ने हमारी फर्म/कार्यालय को ..... में स्थित परिसर के लिए .....(तारीख) से .....(तारीख) तक की अवधि के लिए ..... की जनशक्ति सेवाएं (प्रदान की गई सेवा का विवरण) प्रदान की थी। । रसोई, खानपान और आतिथ्य सेवा अनुबंध के क्षेत्र में जनशक्ति की आपूर्ति का वार्षिक वित्तीय घटक .....रु. ....(शब्दों में) है।

ग्राहक के हस्ताक्षर (बोली लगाने वाले के)  
बोलीदाता के ग्राहक की फर्म की मुहर के साथ

**नोट: तकनीकी मूल्यांकन समिति अन्य समान प्रोफार्मा में अपेक्षित विवरण वाले कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र को भी स्वीकार कर सकती है और इसके निर्णय बाध्यकारी होंगे।**

- बोलीदाता के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम से कम 25 कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए, जो अनुबंध-बी में उल्लिखित पदों के लिए समान निर्धारित योग्यता और अनुभव के साथ अपने रोल पर हों (ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. की जमा राशि दिखाने वाले चालान / रिटर्न आदि और श्रम विभाग के पास दाखिल विवरणी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जानी हैं)
- बोलीदाताओं के पास ई.एस.आई., ई.पी.एफ. और जी.एस.टी. के तहत वैध पंजीकरण होना चाहिए (प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)



3. बोलीदाताओं के पास ई.एस.आई., ई.पी.एफ. और जी.एस.टी. के तहत वैध पंजीकरण होना चाहिए (प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)
4. पैन/टैन पंजीकरण की प्रति (प्रमाण संलग्न किया जाए)
5. बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम, पता, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि
6. एक कंपनी, फर्म या एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए/से लाइसेंस के लिए अनुरोध किया होना चाहिए जो बोली निविदा खोलने की तारीख को कम से कम 3 महीने के लिए वैध होना चाहिए।
7. 60000/- रुपये की ई.एम.डी. का डिमांड ड्राफ्ट
8. डारेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज, जोधपुर के पक्ष में रुपए 500/- का निविदा शुल्क। (कोई छूट नहीं)

**नोट: खंड 1 से 14 में उल्लिखित सभी योग्यताएं तकनीकी बोली दस्तावेज में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जिसके बिना निर्धारित योग्यता के लिए निविदाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।**

### सामान्य नियम और शर्तें

1. निविदा निम्नलिखित पते पर दिनांक 02.06.2022 को शाम 5:30 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए  
**निदेशक**  
**राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान**  
**(आई.सी.एम.आर.-एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.),**  
**नई पाली रोड, जोधपुर-342005**
2. तकनीकी बोलियां संबंधित समिति द्वारा दिनांक 03.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे बोली लगाने वालों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। दूसरे चरण में, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां अनुबंध देने से पहले आगे के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए खोली जाएंगी।
3. तकनीकी बोली 'ए' और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-बी) को बोलीदाता/सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग लिफाफों में विधिवत उपर से अंकित करके सील किया जाना चाहिए और दोनों सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उसे भी सील किया जाना चाहिए तथा और बाहरी लिफाफे पर "राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी.), जोधपुर में अतिथि गृह प्रबंधन सेवाओं की प्राप्ति के लिये निविदा" लिखा होना चाहिए।
4. जिन वित्तीय बोलियों में सेवा शुल्क को शून्य प्रतिशत या उससे व्युत्पन्न 0.9999 प्रतिशत तक दर्शाया जाएगा, उसे शून्य के रूप में विचार करते हुए सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
5. अनुबंध बी के कुल न्यूनतम दर के आधार पर चयन किया जाएगा और एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर तदनुसार अनुबंध प्रदान करेगा।



## 6. बयाना राशि:

निविदाकर्ता को निविदा जमा करते समय बयाना राशि (ई.एम.डी.) के रूप में **डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज, जोधपुर** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 60,000/- रुपये (साठ हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करने की आवश्यकता है। असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि (ई.एम.डी.) वापस कर दी जाएगी।

## 7. बोली सुरक्षा घोषणा में छूट:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.) द्वारा जारी एम.एस.ई. खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को छोड़कर या जो व्यय विभाग,, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. F.20/2/2014-PPD (Pt.) दिनांक 25.07.2017 के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्टार्टअप के साथ पंजीकृत हैं; को छोड़कर; सभी बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा घोषणा जमा करनी होगी। छूट प्राप्त करने के लिए, संबंधित फर्म/एजेंसी को निविदा दस्तावेज के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8. सफल निविदाकर्ता के बैंक गारंटी के रूप में ठेका देने के समय ठेकेदार द्वारा 3% प्रदर्शन गारंटी जमा करने के बाद ही ईएमडी वापस की जाएगी।

## 7. निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) :

सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के 30 दिनों के अंदर कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) के तौर पर "निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान" के नाम पर जोधपुर में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी के रूप में विधिवत गिरवी रखी गई कुल अनुमानित वार्षिक अनुबंध मूल्य (जीएसटी सहित) के 3% की दर से 60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) की राशि प्रस्तुत करनी होगी। जमानत राशि सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रखी जाएगी। किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) इस संस्थान के आदेश द्वारा जब्त की जा सकती है। यदि, अनुबंध को अंतिम रूप देने और अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद, अनुबंध निबाहने के लिए, सफल बोलीदाता किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से असमर्थता दिखाता है, कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) को जब्त कर लिया जाएगा। अनुबंध के तहत ठेकेदार के कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के 60 दिनों के बाद प्रदर्शन सुरक्षा का भुगतान किया जाएगा।

## 10. जमानत राशि की जब्ती

10.1 सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध के किसी भी नियम / शर्त का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या कार्य आदेश की गैर-स्वीकृति के मामले में जब्त किया जा सकता है। अनुबंध की समाप्ति पर, उक्त सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट

- का ऐसा हिस्सा जैसा कि इस कार्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है, फर्म को बिलों पर किए गए किसी भी गलत या अधिक भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त हो, फर्म के बिल की लेखा परीक्षा फाइनल रिपोर्ट प्राप्त करने और उसकी जांच करने तक रखा जाएगा।
- 10.2 यदि ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य प्रारंभ करने की तिथि पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है।
- 10.3 असंतोषजनक प्रदर्शन
- 10.4 ठेकेदार का गैर-कार्य निष्पादन।
11. एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा बोलीदाता को कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) और बयाना राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. एजेंसी द्वारा नियुक्त जनशक्ति के लिए फर्म समय-समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधित और अधिसूचित श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य सामाजिक विधान अधिनियम अर्थात् ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।
13. ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत खानपान के साथ-साथ हाउसकीपिंग का काम भी देना होगा। हालांकि, उसे इस काम के लिए कम से कम 06 व्यक्तियों (01-कुक, 01-हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, 04-हाउसकीपिंग स्टाफ) को नियुक्त करना होगा। इन व्यक्तियों के लिए देय मजदूरी राजस्थान/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार होगी, जो भी अधिक हो वह लागू होगा। संस्थान की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- 14. न्यूनतम योग्यता और अनुभव निम्नानुसार होगा:**

क्रम सं.	पदनाम	आवश्यक योग्यता
01	रसोइया-कुशल (सीनियर कुक/जूनियर कुक)	पदस्थापित व्यक्ति कम से कम 10वीं पास हो तथा किसी सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकाय/निजी फर्म में सीनियर कुक के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव तथा जूनियर कुक के लिए 3 वर्ष का अनुभव हो, रसोइयों की कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसे विभिन्न भारतीय व्यंजन बनाने में निपुण होना चाहिए।
02	हाउसकीपिंग सुपरवाइजर-कुशल (प्रबंधक और पर्यवेक्षक)	तैनात व्यक्ति को 10+2 पास होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए और किसी भी सरकारी संगठन/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/निजी फर्म में प्रबंधक के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और पर्यवेक्षक के लिए प्रबंधक/हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक वांछनीय आवश्यकता किसी भी आतिथ्य प्रबंधन संस्थान से हाउसकीपिंग में डिप्लोमा होगी।
03	हाउसकीपिंग/रसोई	तैनात व्यक्ति कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।

कर्मचारी-अकुशल (विभिन्न उद्देश्य)
--------------------------------------

15. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ सदस्य अनुशासित हों, साफ-सुथरे कपड़े पहने हों और कैंपस में अधिकारियों से विनम्रता से बात करें।
16. यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक कर्मचारी के पास पर्याप्त संख्या में वर्दी होगी ताकि स्वच्छता, सफाई और सुंदरता बनाई रखी जा सके।
17. परिसर में रहने के दौरान या अन्यथा ड्यूटी के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी चोट, जीवन की हानि या किसी दुर्घटना के लिए एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. जिम्मेदार नहीं होगा।
18. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध कराएगा।
19. एजेंसी निविदा जमा करने से पहले किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय परिसर का निरीक्षण कर सकती है।
20. यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. केंद्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम के अनुसार ठेकेदार अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के संबंध में देनदारियों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा।
22. आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से हर माह के पहले 7 दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाना है।
23. अनुबंध को एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
24. किसी भी सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
25. एनआईआईआर-एनसीडी को व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने/ठेकेदार के प्रतिष्ठान का दौरा करने का अधिकार होगा।
26. ठेकेदार उसे सौंपी गई वस्तुसूची को स्वीकार करते हुए रसोई और डाइनिंग हॉल के बिजली के उपकरणों सहित गेस्ट हाउस की पूंजीगत वस्तुओं का प्रभार लेगा। स्वाभाविक टूट-फूट को छोड़कर ठेकेदार पूंजीगत वस्तुओं की चोरी/क्षति/हानि आदि के लिए जिम्मेदार होगा। चोरी/क्षति के कारण हुए नुकसान की वसूली उसके बिल से की जाएगी।
27. ठेकेदार को गेस्ट हाउस में खाना बनाने और परोसने के लिए खुद के रसोई के बर्तन, बोन चाइना क्रॉकरी आदि लाने होंगे।
28. मेहमानों को बासी खाना (बचा हुआ) नहीं परोसा जाना चाहिए।
29. गैस सिलिंडरों की रिफिलिंग का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
30. ठेकेदार खाना पकाने के तेल, मसालों और सभी खाद्य सामग्री के आई.एस.आई. मार्क/एगमार्क मानक के केवल मानक ब्रांडों का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
31. उपयोग किए जाने वाले सभी किराना सामान (परचून) मानक गुणवत्ता के होने चाहिए।

32. केवल ताजे पेय/फल/सब्जियां ही प्रयोग में लाई जाएंगी और परोसी जाएंगी।
33. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि गेस्ट हाउस के कमरे, किचन, डाइनिंग हॉल और उसके आसपास और सर्विस टेबल साफ सुथरे हों।
34. गेस्ट हाउस के प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार सबसे हाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाना चाहिए।
35. ठेकेदार अनुबंध-'सी' में उल्लिखित मेनू और दरों के अनुसार नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात का भोजन आदि प्रदान करेगा।
36. ठेकेदार को संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन की बैठकों के लिए स्वीकृत दरों पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन उपलब्ध कराना होगा। आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति को आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार को अतिरिक्त मानव शक्ति प्रदान करनी होगी।
- 37. कार्य किसी और को सौंपना (सबलेटिंग):**  
फर्म/पार्टी सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कार्य या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा, जो इसे अस्वीकार करने या स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 38. कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन:** संचालन के 3 माह बाद ठेकेदार का मूल्यांकन इस दस्तावेज में वर्णित दिशा-निर्देशों एवं नियमों के आधार पर किया जायेगा। यदि ठेकेदार अपेक्षाओं और किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहता है, तो लाइसेंस समझौता रद्द किया जा सकता है।
- 39. वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति:** ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में अपने जोखिम और लागत पर सभी वैधानिक प्रावधानों, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, ईएसआईसी अधिनियम, 1948 और ईपीएफ अधिनियम, 1952 और सभी अन्य श्रम और औद्योगिक अधिनियमन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। किसी भी अधिनियम, आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए इसके खिलाफ लाई गई किसी भी कार्रवाई के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसलिए, किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर अनुबंध तत्काल समाप्त हो जाएगा। ठेकेदार अगले महीने के भुगतान का दावा करने के लिए पिछले महीने के ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. और जी.एस.टी. (यदि लागू हो) के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- 40. श्रमिकों का विवरण:**  
क.) ठेकेदार श्रमिकों की एक सूची के साथ उनके स्थानीय/स्थायी पते, संपर्क विवरण, और उनकी फोटो आदि सहित पूर्ण विवरण अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिन्हें एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी नामों को

अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा क्लियर किए गए कर्मचारियों को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

- ख.) ठेकेदार को कार्य करने के लिए उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। इन कार्डों को लगातार प्रदर्शित किया जाना है और उनके नुकसान की तुरंत सूचना दी जानी है।
- ग.) एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए और श्रमिकों का विवरण प्रदान करते हुए इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

#### 41. कर्मचारों को वेतन भुगतान की तिथि :

ठेकेदार को अपने लंबित बिलों की निकासी की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल पिछले महीने के काम के लिए हर महीने की 7 तारीख तक कामगारों को वेतन का भुगतान करना होगा। भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर 2000 (दो हजार) रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। भुगतान पूर्णतः संतोषजनक कार्य एवं दैनिक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। ठेकेदार सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची जारी करेगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करेगा। कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके खातों में स्थानांतरित करने के लिए ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर सभी कर्मचारियों के खाते पास के बैंक में खुलवाने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

#### 42. उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव:

ठेकेदार को कामगारों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा और एनआईआईआरएनसीडी प्रभारी इसे प्रमाणित करेंगे। इस रिकॉर्ड की एक प्रति हर महीने भुगतान के लिए बिल के साथ जमा की जाएगी।

#### 43 दुर्घटना या कामगार को चोट:

संस्थान बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार इस तरह के सभी नुकसान और मुआवजे के संबंध में संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।

#### 44. लगाए गए कामगारों की चिकित्सा स्वस्थता:-

- ठेकेदार सभी सेवाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ दिमाग वाले स्वस्थ वयस्क और प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही नियुक्त करेगा।
- ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी संचारी/संक्रामक रोग से मुक्त हैं और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। यदि आवश्यक हुआ तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. एजेंसी के खर्च पर चिकित्सा परीक्षण करेगा।

iii. ठेकेदार समय-समय पर, 6 महीने में एक बार, अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक योग्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। चिकित्सा जांच का खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

#### 45. संस्थान की रक्षा और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन:

- क.) संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी रक्षा और सुरक्षा नियमों और निर्देशों का अपने कर्मचारियों द्वारा पालन कराने हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि कार्रवाई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार की जानी चाहिए और एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. के प्राधिकारी को हर समय अवगत कराया जाना चाहिए।
- ख.) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान प्राप्त संस्थान की जानकारी को बिना किसी अनुमति के तीसरे पक्ष को किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रखें।

#### 46. असंतोषजनक सेवा का दंड:

- i. यदि माह में किसी एक विशेष दिन सेवाओं में कमी पाई जाती है, तो असंतोषजनक सेवा के लिए मासिक अनुबंध राशि का 1% (एक प्रतिशत) जुर्माना लगाया जाएगा।
- ii. यदि माह में 2 से 4 दिन सेवा में कमी पाई जाती है, तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 2% जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 4 दिन से अधिक और 7 दिनों तक के समय की कमी पाई जाती है तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 3% जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 7 दिन से अधिक 10 दिन तक की कमी पाई जाती है, तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।
- iii. यदि असंतोषजनक कार्य निष्पादन 10 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है, तो निदेशक, एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. बिना किसी और सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
- iv. असंतोषजनक सेवाओं/सेवाओं में कमी में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है:
- देर से आना; पुरानी/गंदी वर्दी में आना; नशे में/बीमार/अस्तव्यस्त रिपोर्ट करना; एक दिन पहले सूचना दिए बिना छुट्टी; उपस्थिति रजिस्टर/बायोमेट्रिक मशीन में हेराफेरी/छेड़छाड़ करना; अशिष्ट, अभद्र व्यवहार; कर्तव्य पालन में आलसी, असहयोगी; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. की संपत्ति को नुकसान; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य; काम के घंटों के दौरान धूम्रपान/पान/बीड़ी; काम के घंटों के दौरान व्यक्तिगत फोन कॉल में करना; साथी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, अंदरूनी कलह, गुटबाजी; अवज्ञा; वित्तीय अनियमितता; अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में लाना/अनुमति देना; बिना बैज/आई कार्ड के आना; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इंकार करना आदि।



iv. एजेंसी को दैनिक आधार पर जनशक्ति प्रदान करना आवश्यक है। यदि एजेंसी आवश्यक संख्या में कर्मियों को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो उपस्थिति की कमी के लिए निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा:

I. 85% और उससे अधिक,

कोई जुर्माना नहीं।

II. 75% से 85% (85% से कम),

रु. 100/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन

III. 65% से 75% (75% से कम),

रु. 200/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन

IV. 55% से 65% (65% से कम),

रु. 300/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन

V. 55% से कम

रु. 500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन

#### 47. भुगतान की शर्तें:

- i. उपस्थिति रजिस्टर की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति के साथ दो प्रतियों में बिल भुगतान के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह तक इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए।
- ii. कार्य प्रदान करने के आदेश के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से अग्रिम भुगतान या किसी ऋण की अनुशंसा नहीं की जाएगी। बिलों के भुगतान में बिल जमा करने की तारीख से औसतन लगभग दो सप्ताह का समय लगेगा।
- iii. सभी भुगतान फर्म/कंपनी के नाम पर केवल चेक/पीएफएमएस द्वारा किए जाएंगे।
- iv. सक्षम प्राधिकारी किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने के लिए स्वतंत्र होंगे बशर्ते कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित दंड की वसूली हो।

**48. न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह अनुबंध भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित है और केवल जोधपुर उच्च न्यायालय, राजस्थान के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

**निदेशक**

अनुलग्नक-I

**डी.ओ.टी./सरकारी विभाग द्वारा सरकारी निविदा में भाग लेने से ब्लैकलिस्टिंग/गैर-  
ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में घोषणा।  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

मैं/हम मैसर्स -----  
-----का मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मेसर्स -----  
-----है, को पूर्व में  
एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सरकारी निविदाओं में भाग लेने  
से काली सूची में नहीं डाला गया है या प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

या  
मैं/हम मैसर्स -----  
-----का मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मेसर्स -----  
-----है, को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., या  
किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा दिनांक -----से प्रभावी -----वर्षों के लिए  
सरकारी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अवधि दिनांक -----  
----- को समाप्त हो गई है और अब फर्म/कंपनी सरकारी निविदाओं में भाग लेने की हकदार है।

यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं /हम पूरी तरह से जानते हैं कि निदेशक,  
एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर द्वारा निविदा/अनुबंध को अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा और  
बयाना राशि/जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, निदेशक, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर किसी भी पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण  
किए गए कार्य के बिलों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

हस्ताक्षर -----

दिनांक:

नाम -----

फर्म की मुहर लगानी

होगी।

क्षमता जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं:

फर्म का नाम और पता:

## घोषणा

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में ठेकेदार के किसी निकट संबंधी (रिश्तेदारों) के कार्यरत ना होने के संबंध में

में .....पुत्र / श्री .....

निवासी ..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित मेरा कोई भी रिश्तेदार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है, तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

मुहर सहित

निकट संबंधी (ओं) का अर्थ है:

ए) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य;

बी) जीवनसाथी।

सी) पिता, माता, बहन, भाभी, बेटा, बहू, भाई, साला आदि

स्वामित्व फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र मालिक द्वारा दिया जाएगा और साझेदारी फर्म के मामले में सभी साझेदारों द्वारा और लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा या सभी निदेशकों की ओर से कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कंपनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, निविदा/कार्य रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी स्तर पर जब भी ऐसा पाया जाएगा तो बयाना राशि/ जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यह विभाग कंपनी या फर्म या संबंधित व्यक्ति को कोई हर्जाना नहीं देगा। कंपनी या फर्म या व्यक्तियों को संबंधित इकाई में आगे की भागीदारी के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

निविदाकर्ता/अधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता की मुहर

अनुबंध - III

**घोषणा  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

**वेब साइट से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज की छेड़छाड़ ना करने के लिए**

मैं .....(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) एतद्वारा घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/> <https://niirncd.icmr.org.in/> <https://icmr.gov.in/> से डाउनलोड किए गए हैं और डाउनलोड किए गए दस्तावेज में कुछ भी जोडा/हटाया/सुधारा नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने बयाना राशि के लिए निविदा दस्तावेज की लागत हेतु ..... रुपये का डी.डी. संलग्न किया है।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम  
निविदाकार की मुहर

अनुबंध - IV

**घोषणा**  
**(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

**कार्यालय में भाग लेने के लिए प्राधिकरण पत्र**

सेवा में,

निदेशक,

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., नई पाली रोड,  
जोधपुर

विषय: \_\_\_\_\_ (तारीख) को \_\_\_\_\_ की निविदा में कार्यालय में  
उपस्थित होने के लिए प्राधिकार

महोदय,

निम्नलिखित व्यक्ति \_\_\_\_\_ (बोलीदाता) की ओर से  
ऊपर उल्लिखित निविदा के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अधिकृत हैं।

प्रतिनिधि का नाम

नमूना हस्ताक्षर

1. \_\_\_\_\_

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(अधिकतम एक प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऊपर निर्धारित  
प्राधिकरण प्राप्त नहीं होता है तो कार्यालय में प्रवेश की अनुमति से मना किया जा सकता है।)

अनुबंध -ए

**राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर**  
**(तकनीकी बोली)**

1.	मालिक का नाम	
2.	फर्म/एजेंसी का नाम*	
3.	फर्म/एजेंसी का पता*	
4.	टेलीफोन नंबर	
5.	पंजीकरण संख्या	
6.	व्यापार जिसके लिए पंजीकृत*	
7.	अधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर: निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए*	
8.	खाता संख्या, आईएफएससी कोड के साथ बैंकर का नाम और पता	
9.	आयकर पैना/टैन संख्या *	
10.	पंजीकरण क्रमांक* और तारीख, यदि कोई हो, जैसा कि नीचे दिया गया है (ए) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (बी) ई.पी.एफ. अधिनियम* : (सी) ई.एस.आई. अधिनियम* : (डी) जीएसटी अधिनियम *:	
11.	बयाना राशि (ईएमडी) का विवरण (डीडी नंबर, तिथि और राशि)	
12.	निविदा शुल्क का विवरण (डीडी संख्या, तिथि और राशि)	
13.	पिछले तीन साल की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न और टर्नओवर अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि	
14.	रसोई, खानपान और आतिथ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनशक्ति की आपूर्ति के लिए तीन वर्ष का अनुभव	
15.	अनुबंध-I से IV तक के घोषणा/पत्र।	

\* तकनीकी बोली में बयाना राशि और निविदा शुल्क के साथ फर्म के पंजीकरण, आयकर, जी.एस.टी., टिन, ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. आदि के प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक सहित

अनुबंध -बी

**राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर**  
**(वित्तीय बोली)**

क्रमांक	विवरण	मासिक शुल्क रुपये में	कुल वार्षिक राशि (रुपये में)
1	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर (राजस्थान) में अकुशल कर्मचारियों (04 व्यक्ति) के लिए सेवा शुल्क (04- हाउसकीपिंग स्टाफ)		
2	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर (राजस्थान) में कुशल कर्मचारियों (02 व्यक्ति) के लिए सेवा शुल्क (01 रसोइया + 01 हाउसकीपिंग सुपरवाइजर)		
	कुल मासिक सेवा शुल्क शब्दों में:		

# (ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा बताई गई सेवा शुल्क की दर शून्य या शून्य का यौगिक नहीं होना चाहिए।)

• न्यूनतम मजदूरी, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., बोनस आदि नियमानुसार होंगे।

**नोट:**

1. भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार ई.एस.आई. अंशदान दरों को 1 जुलाई, 2019 से पहले के 4.75% से घटाकर 3.25% कर दिया गया है।
2. ई.पी.एफ. अंशदान 15000/- रुपये की अधिकतम मजदूरी सीमा पर लिया गया है।
3. ई.एस.आई. लागू होने की ऊपरी सीमा रु. 21000/- है।
4. बोनस लागू होने की ऊपरी सीमा रु. 7000/- है।
5. मजदूरी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाने पर संशोधन के अधीन है।
6. उपर्युक्त न्यूनतम मजदूरी केंद्र/राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार वसूल की जाएगी और जो भी अधिक होगी वह लागू होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक सहित





**अनुबंध -सी**

**खाद्य सामग्रियों की अनुसूची, मात्रा और लागत**

खाद्य सामग्री और मात्रा	सभी कर, आकस्मिक शुल्क और श्रम शुल्क सहित दरें	
नाश्ता	दरें रुपयों में	
सब्जी का एक भरवां पराठा (150 ग्राम) अचार के साथ	15	
पूरी (5) + सब्जी	25	
टोस्ट (4)+ बटर+जैम (स्टैंडर्ड साइज टोस्ट)	15	
कॉर्नफ्लेक्स/पोहा/उपमा (200 ग्राम)	20	
2 अंडे/आमलेट/स्लाइस	20	
बेसन का चीला (50 ग्राम)	10	
दही/रायता (150 ग्राम)	10	
चाय/कॉफी (100 मि.ली.)	10	
कोल्ड कॉफी (200 मि.ली.)	20	
दूध (200 मि.ली.)	15	
अमूल बटर (10ग्राम) पैक किया हुआ	अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)	
अमूल बटर मिल्क (200 मि.ली. से 500 मि.ली.) पैक किया हुआ	अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)	
<b>दोपहर और रात का भोजन</b>		
<b>साधारण शाकाहारी भोजन</b>		
दाल, मौसमी सूखी सब्जी, सादा चावल, रोटी/पूड़ी, एक पापड़, अचार, दही/रायता (150 ग्राम), सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू-7 टुकड़े)	पूर्ण आहार (Full Diet)	75.00
<b>साधारण मांसाहारी भोजन</b>		
अंडा करी/चिकन/मछली, दाल, सादा चावल, रोटी, दही/रायता (150 ग्राम) पापड़, अचार, सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू-7 टुकड़े)	पूर्ण आहार (Full Diet)	100.00

मटन, दाल, चावल, रोटी, दही/रायता (150 ग्राम) पापड़, अचार, सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू-7 टुकड़े)	पूर्ण आहार (Full Diet)	150.00
<b>विशेष लंच/डिनर</b>		
दो सब्जियां और दाल (पसंद के अनुसार), पुलाव चावल, दही / रायता, मिश्रित हरी सलाद, भुना हुआ पापड़, अचार, रोटी / पूरी, मिठाई (गुलाब जामुन / छेना मिठाई / रसमलाई (एक टुकड़ा) / आइसक्रीम (वेनिला / स्ट्रॉबेरी) / चॉकलेट), फ्रूट रायता, मिनरल वाटर (200 मि.ली.)	पूर्ण आहार (Full Diet)	150.00
<b>Food items if separately sold</b>		
रोटी (प्रत्येक 50 ग्राम वजन की )	कुल 5	15
मक्खन लगी रोटी (प्रत्येक 50 ग्राम वजन की)	कुल 5	20
पकी हुई दाल	150 ग्राम	15
पकी हुई सब्जी (मौसमी सब्जी)	150 ग्राम	15
पके हुए चावल	200 ग्राम.	15
भुना हुआ पापड़ (जिसके ऊपर प्याज, टमाटर और मसाले लगे हों)	कुल 1	10
समोसा/मिर्ची बड़ा/ब्रेड पकोड़ा/कचौरी	100 ग्राम	10
पकोड़ा (दाल, प्याज, आलू)	100 ग्राम	15
वेजिटेबल सैंडविच	कुल 1	20
चीज सैंडविच	कुल 1	25
वेजिटेबल मैगी	200 ग्राम	20
दही-वड़ा	200 ग्राम	20
पैटी (आलू, पनीर, चीज़ आदि) स्टैंडर्ड साइज	कुल 1	15
नींबू पानी	200 मि.ली.	10
गाजर का शेक	200 मि.ली.	10
बनाना शेक/संतरा/मौसम्बी जूस	200 मि.ली.	20
मैंगो शेक/अनानास/मिश्रित फल (कम से कम 4 फल) का रस	200 मि.ली.	25
शीतल पेय / डेयरी पेय / नमकीन / बिस्कुट / बेकरी आइटम, मिनरल वाटर (200 मिली, 500 मिली और 1 लीटर)		अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)